Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....बयाना..............................
सुनील आदि..बनाम ....रोहताश वगै0..............................

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं..152/24..सन् ..2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
08.07.2024	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण मूल के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी वाके ग्राम बिडयारी तहसील बयाना स्थित है में वादी/प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं करें। कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करें। नाजायज कब्जा नहीं करें। आराजी रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। साथ ही प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 01 के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 16.08.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित आराजी वाके ग्राम बिडयारी तहसील बयाना स्थित है के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	

16/8/24 - प्र. प्रार्थी उप० / अप्रार्थीगण उप० / प्रकरण में बहस-लोकल कमिश्नर [illegible] हेतु प्रकरण दि 13/11/24 को पेश हो।

13/11/24 पीठासीन अधिकारी अवकाश/छुट्टी पर हैं। पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 24/11/25 को पेश हो।
रीडर
कोर्ट/एस.डी.एम

24/11/25 प्रकरण आज पेश हुआ। प्रकरण पूर्वानुसार दि० 13/5/25 को पेश हो।

13/5/25 - प्र. प्रार्थी उप० / अप्रार्थीगण की तामील [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] नहीं - [illegible] तामील हेतु [illegible] की तामील हेतु प्रकरण दि. 17/7/25 को पेश हो।

17/7/25 प्रकरण पेश हुआ [illegible] प्रकरण [illegible] आदेश उप० नहीं। प्रकरण [illegible] कार्यवाही दि. 5/9/25 को पेश हो।

5/9/25 प्रकरण आज पेश हुआ। प्रकरण में उक्त प्रार्थीगण व स्वंय प्रार्थीगण अथवा प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा जो बार-बार आवाज लगवाई गई। आवाज उपरान्त भी प्रकरण में कोई उप० नहीं।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.
	अतः प्रकरण इजरी उजर पर मदन वादेवी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	